**जांच सूची क्रमांक 25 – डम्ब बार्ज की किसी अन्य भारतीय स्वामी को बिक्री (पुनः संचालन हेतु)**

**स्वामित्व परिवर्तन हेतु आवश्यक दस्तावेज**

**(पृष्ठ 2 का 2)**

| **क्र.सं.** | **आवश्यक दस्तावेज** | **हां/नहीं** |
| --- | --- | --- |
| 1 | खरीदार और विक्रेता दोनों को पोत की बिक्री की मंशा की पूर्व जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होगी जिसमें खरीदार और विक्रेता का विवरण शामिल हो। |  |
| 2 | पोत की बिक्री के लिए ‘समझौता ज्ञापन (MoA)’ / ‘बिक्री विलेख (Sale Deed)’ की प्रति। |  |
| 3 | ‘स्वामित्व की घोषणा’ (संलग्न प्रारूप अनुसार) – अधिकृत व्यक्ति द्वारा जहाजों के रजिस्ट्रार की उपस्थिति में हस्ताक्षर की जानी चाहिए (बोर्ड प्रस्ताव / पावर ऑफ अटॉर्नी अनुसार)। |  |
| 4 | खरीदार कंपनी के मामले में – कंपनी सचिव या दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित मूल बोर्ड प्रस्ताव। |  |
| व्यक्तिगत खरीदार के मामले में – एक नोटराइज्ड शपथपत्र जिसमें: |  |  |
| (a) पोत खरीदने का निर्णय (विक्रेता का नाम सहित), और |  |  |
| (b) स्वामित्व की घोषणा पर हस्ताक्षर हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत किया गया हो। |  |  |

**नोट**: बोर्ड प्रस्ताव पर कॉमन सील आवश्यक नहीं है। हालांकि, पावर ऑफ अटॉर्नी, बिल ऑफ सेल आदि जैसे दस्तावेजों पर कॉमन सील आवश्यक होगा।

| 5 | विक्रेता कंपनी के मामले में – कंपनी सचिव या दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित मूल बोर्ड प्रस्ताव।  
व्यक्तिगत विक्रेता के मामले में – एक पत्र जिसमें:  
(a) पोत की बिक्री का निर्णय, और  
(b) बिक्री विलेख / बिल ऑफ सेल पर हस्ताक्षर के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत किया गया हो। | |  
| 6 | कंपनी के मामले में कॉमन सील सहित मूल ‘बिल ऑफ सेल’ या  
व्यक्तिगत स्वामी के मामले में हस्ताक्षर सहित / या विधिवत नोटराइज्ड / प्रमाणित प्रति। | |  
| 7 | खरीदार कंपनी का “ज्ञापन और उपविधियाँ” (Memorandum and Articles of Association) एवं कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Incorporation) की प्रति, जिसका पहला पृष्ठ हो। | |  
| 8 | पंजीकरण समाप्ति के समय जहाज पर कोई बकाया गिरवी / ऋण नहीं होना चाहिए। | |  
| 9 | विक्रेता से प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र की मूल प्रति। | |  
| 10 | ₹1000/- की भारत कोष (Bharat Kosh) भुगतान रसीद। | |

**कोस्टिंग वेसल्स अधिनियम, 1838 के अंतर्गत – स्वामित्व और नागरिकता की घोषणा**

मैं/हम श्री \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ जो \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ पर निवास करते हैं,  
M/s. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ के साझेदार / निदेशक / अध्यक्ष के रूप में,  
जिसका स्थायी व्यापार स्थान \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ है,  
यह घोषणा करते हैं कि:

1. मैं/हम भारत के नागरिक हैं। (पासपोर्ट की प्रति संलग्न)
2. मैं/हम इस पोत (डम्ब बार्ज) के एकमात्र स्वामी हैं।  
   **नाम**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **आधिकारिक संख्या**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**मुख्य माप:**

* लंबाई: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ मीटर
* चौड़ाई: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ मीटर
* गहराई: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ मीटर

**टनभार विवरण:**

* सकल टनेज (GT): \_\_\_\_\_\_\_\_\_
* शुद्ध टनेज (NT): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. यह डम्ब बार्ज मेरे/हमारे नाम पर पंजीकृत किया जाएगा, भारतीय जहाजों के रजिस्ट्रार, मर्चेंट मरीन विभाग, मुंबई में – कोस्टिंग वेसल अधिनियम, 1838 के अंतर्गत (संशोधित)।

मैं पूरी श्रद्धा से घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

**प्रस्तुत और हस्ताक्षरित**: दिनांक \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ को \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ द्वारा,  
**भारतीय जहाजों के रजिस्ट्रार**, मर्चेंट मरीन विभाग, मुंबई की उपस्थिति में।

**(स्वामी का हस्ताक्षर)**  
**(रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर)**

\* जो लागू न हो, उसे काट दें।

**नोट:**  
जांच सूची अनुसार संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहरयुक्त होनी चाहिए। बिना उपरोक्त सत्यापन के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।